

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा**  
**वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005**  
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10125/1045

दिनांक :- 23/04/2018

**कार्यालय आदेश**

श्री /श्रीमती / सुश्री जालेन्द्र मीणा [लिंक न. 10125] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निबन्धक, राजस्व मंडल, अजमेर - [956] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 23/10/2017 से 02/11/2017 तक 11 दिवस

**कुल 11 दिवस**

उक्त कुल 11 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री जालेन्द्र मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10125/1046-5/

दिनांक :- 23/04/2018

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. निबन्धक, राजस्व मंडल, अजमेर
2. कोषाधिकारी अजमेर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री जालेन्द्र मीणा [10125] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निबन्धक, राजस्व मंडल, अजमेर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(शिल्पी कौशिक)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)